न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 122/2020
GCMS NO. : 2020/00262

–॥ वादी ।–

1. पृथ्वीसिंह पुत्र किशनसिंह जाति राजपुत निवासी लौटोती तहसील जैतारण जिला पाली राज0।

बनाम

–॥ प्रतिवादीगण ।–

1. रामकंवरी पत्नी जुगलकिशोर मंत्री जाति महेश्वरी(जैन) निवासी डांगावास तहसील मेड़ता सिटी जिला नागौर राज0।
2. प्रेमलता मोदी पुत्री गोपाल मंत्री पत्नी रविप्रकाश मोदी जाति महेश्वरी(जैन) निवासी मोदी भवन मैन सड़क सोजतरोड़ तहसील सोजतसिटी जिला पाली राज0।
3. उर्वशी पत्नी अनिल कुमार मुन्दड़ा जाति मुन्दड़ा (जैन) निवासी महावीरगंज ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर राज0
4. सुरजकंवर पुत्री गायड़सिंह
5. पप्पुकंवर पुत्री चैनकंवर
6. रामकंवर पुत्री चैनकंवर
7. सुरेशकंवर पुत्री चैनकंवर जातियान राजपूत निवासीगण लौटोती तहसील जैतारण जिला पाली राज0।
8. मिथलेश कुमारी पुत्री वीर बहादुरसिंह जाति राजपुत निवासी लौटोती तहसील जैतारण जिला पाली राज0।
9. तहसीलदार एवं उपंपजीयन अधिकारी महोदय जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार।

राजस्व वाद बाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:27.10.2020

उपस्थितः– 1. श्री देवाराम कटारिया, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री चुतराराम भाटी, श्री जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता, प्रतिवादी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:10:48 IST
Reason: SelfAttested

–:: निर्णय ::–

दि[illegible]:– [illegible]08/2021

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद [illegible] [illegible] [illegible] अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा लौटोती पटवार हल्का लौ[illegible] भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बोल तहसील जैतारण जिला पाली राज0 मे वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती अविभाजित सामलाती खातेदारी कब्जो काश्त की कृषि भमि खसरा नम्बर 945 रकबा 78–05 बीघा आयी हुई है। जिसके राजस्व रेकर्ड मे वादी एवं

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

प्रतिवादीगण संख्या 8 मिथलेश कुमारी का 1/8 वां हक हिस्से अनुसार मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 8 मिथलेश कुमारी काबिज होकर काश्त करता चले आ रहे है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 का 3/8 वां हिस्सा एवं शेष सम्पूर्ण हक हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 2 से 7 का राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज है जिसकी जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति की साथ संलग्न है जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। उपरोक्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती कृषि भूमि है, जिसका बाई मिट्स् एण्ड बाउण्ड्स् के कानूनी बंटवाडा नही हो रखा है तथा उपरोक्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर शांतिपूर्ण तरीके से काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य करते आ रहे है, परन्तु उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड मे सामलाती दर्ज होने से आये दिन प्रतिवादीगण वादी के साथ सीमा को लेकर विवाद करते रहते है एवं वादीगण की खन्दक/मेडबन्दी को तोडफोडकर देते है एवं कृषि भूमि को अकृषि कार्य मे रूपान्तरण करवाये बिना ही कच्चा पक्का निर्माण करने पर उतारू है एवं वादी के हक हिस्से की भूमि मे गड्ढे खोद दिये है तथा वादी को हर समय उनके हक हिस्से से बेदखल करने पर आमादा रहते है। उक्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की अविभाजित कृषि भूमि होने से वादी अपने हक हिस्से व बंट की भूमि मे आधुनिक तरीके से कृषि करने हेतू बैंक से ऋण नही ले सकता तथा अपनी कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण नही करवा सकता एवं अनेको प्रकार की राज्य एवं भारत सरकार की योजनाओ का लाभ प्राप्त करने से वंचित होना पड रहा है एवं अनेको प्रकार की कठिनाईयो तथा समस्याओ का समना करना पडता है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त संयुक्त सामलाती अविभाजित कृषि भूमि जो मौके पर राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार अपने हक हिस्से बंट अनुसार मौके पर काबिज काश्त अनुसार बाई मिट्स् एण्ड बाउण्ड्स् के कानूनी बंटवाडा करवाने हेतू दिनांक 21/10/2020 को कहा तो प्रतिवादीगण स्पष्ट रूप इंकार हुए एवं प्रतिवादीगण ने ऐलानिया कथन किया कि उक्त भूमि का बिना कानूनी बाई मिट्स् एण्ड बाउण्ड्स् के बंट्वाडा करवाये ही उक्त भूमि का किसी अन्य अजनबी केता को बेचान हस्तान्तरण रहन वसीयत आदि कर देते एवं वादी के हक हिस्से व बंट की भूमि मे गड्ढे खोदकर कच्चा पक्का निर्माण कर देते है व वादी को उसके कब्जे काश्त से बेदखल कर देगे । यदि प्रतिवादीगण अपने इन नापाक इरादो मे कामयाब हो जाते है एवं वादी को उसके हक हिस्से व बंट की भूमि से बेदखल कर देते है तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी एवं वादी ५८अपने जायज हक हकूको एवं अधिकारो तथा खातेदारी कबजे काश्त की कृषि भूमि से वंचित हो जायेगे तथा अनेको प्रकार की मुकदमेबाजी होगी जिससे विविध प्रकार की पेचीदगिया बढेगी [illegible] बार हो जायेगे। इसलिए वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहा [illegible] से वादपत्र बाबत बंट्वाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् जी के समक्ष [illegible] कृषि भूमि का वादी खातेदार काश्तकार होने से एवं वादी का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने से वादी अपने हक हिस्से व बंट की भूमि का बाई मिट्स् एण्ड बाउण्ड्स् के बंट्वाडा करवाने का अधिकारी है तथा मौके पर राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार वादी का अपने हक हिस्से व बंट की भूमि पर कब्जा काश्त होने से एवं दस्तावेजात से प्रथम

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:10:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

ष्टिया मामला व सुविधा का सन्तुलन भी हरदृष्टिकोण से वादी के पक्ष मे है। यदि तिवादीगण अपने नापाक मंसुबो मे सफल हो जाते है तो वादी को असीम हानि ोगी जिसकी पूर्ति किसी कदर संभव नही होगी एवं मल्टीप्लीसिटी अ०फ प्रोसिडिंग्स् ढ़ेगी। इसलिए प्रतिवादीगण द्वारा किये जा रहे गैरकानूनी कृत्यो को रोके जाने बाबत् ह वादपत्र बाबत् बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष पेश है। तिवादीगण संख्या 9 तहसीलदार साहब, जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार है तथा टवाडे के वाद मे आवश्यक एवं प्रोपर पक्षकार होने से बतौर प्रतिवादीगण पक्षकार नाया गया है। बिनाय दावा दिनांक 21/10/2020 को वादी ने प्रतिवादीगण को बाई मेटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा मना करने पर वं बिना बंटवाडा करवाये सामलाती भूमि का किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण करने वं वादी को उसके हक हिस्से व कब्जे से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी देने पर मुकाम लौटोती तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में उत्पन्न हुआ जो श्रीमान् के वणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में होनें से उक्त वादपत्र अन्दर म्याद श्रीमान् के समक्ष ादर पेश है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया ाया। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 07 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया, जो ा0मि0 है। प्रतिवादी संख्या 08 जवाब दावा पेश नहीं करना चाहते, जवाब दावा बन्द केया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 07 ने जवाब दावा में जाहिर किया कि दावा ा पद संख्या- एक सही होने से स्वीकार है ग्राम लौटोती में खसरा नम्बर- 945 कवा 78 वीघा 05 विस्था भूमि पर अपने अपने हिस्से अनुसार वादी व सभी तिवादीगण मौके पर काबिज होकर शांतिपूर्वक काश्त करते आ रहे है एवं मौके पर लग अलग बंटवाड़ा किया हुआ है तथा आपस में मेडबन्दी व तारबन्दी की हुई है ाजस्व रेकर्ड में मौके पर काबिज अनुसार बंटवाड़ा किया जाता है तो प्रतिवादीगण को ोई आपति एवं एतराज नहीं हैं। दावा का पद संख्या- दो सही होने से स्वीकार है ुतनाजा जमीन पर सभी हिस्सेदारान अपने अपने हिस्से अनुसार की जमीन में र्तमान में जीरा की फसल बोई हुई है। वादी ने सन 1989 में नारायणसिंह ुमेरसिंह पुत्र गायड़सिंह से जमीन खरीद कर अपनी पत्नि मिथलेशकुमारी के नाम जिस्ट्री करवाई उस वक्त रजिस्ट्री में पाडौस लिखे थे उसी माफिक मौके पर कब्जा है इसलिए मौके पर कब्जे के आधार पर राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा किया जावे तो तिवादीगण को कोई आपति नहीं हैं। दावा का पद संख्या- तीन सही होने से स्वीकार है। वादी व प्रतिवादीगण सभी मौके पर कब्जे अनुसार बंटवाड़ा कराना चाहते है मौके र माठ को लेकर कोई विवाद नहीं हैं, केवल मात्र राजस्व रेकर्ड नक्शे में तरमीम हीं है। जो बंटवाड़ा करके हिस्से अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम [illegible] जरूरी है और खाता भी अलग अलग किया जाना जरूरी है प्रतिवादीगण मुतनाजा [illegible] का बंटवाड़ा कराने से कभी मना नहीं किया उक्त दावे के पहले उक्त भूमि [illegible] बंटवाड़ा का वाद संख्या-57/2009 में सुरजकंवर वगैरा बनाम नारायणसिंह वगैरा [illegible] का दावा एकासमा का होकर दिनांक 03/02/2020 को निर्णय भी हो चुका हैं। दावे का पद संख्या चार सही होने से स्वीकार है। मुतनाजा भूमि का बंटवाड़ा किया जावे तो प्रतिवादीगण को कोई आपति नहीं हैं। दावा का पद संख्या- पांच कानूनी है

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:10:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

तहसीलदार जैतारण भूमिधारी होने से पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादीगण ने दिनांक 21/10/2020 को उक्त भूमि का बंटवाड़ा कराने से मना नहीं किया था। दावे का पद संख्या- सात कानूनी होने से स्वीकार हैं। दावे का पद संख्या- अनुतोष बाबत सही होने से स्वीकार है वादी अनुतोष माफिक मौके पर काबिज अनुसार राजस्व रेकर्ड ट्रेस नक्शा मे तरमीम व खाता अलग अलग किया जावें तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति व एतराज नहीं हैं। इस प्रकार वकील वादी एवं प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से जाहिर किया कि वादी एवं प्रतिवादी अपने अपने हक-हिस्से के खातेदार काश्तकार है, बंटवाड़ा चाहते है। माफिक राजस्व रेकर्ड पक्षकारान् का बंटवाड़ा करने की इस्तदुआ की, सहमति स्वरूप उभयपक्ष अधिवक्ता ने अपने अपने हस्ताक्षर आदेशिका पर किये। बहस अधिवक्ता उभयपक्षान् की सुनी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र, शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात एवं जवाब दावा का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर गौर कर मनन किया गया। जमाबन्दी सरहद मौजा लौटोती सम्वत् 2073-2076 का अवलोकन किया गया। जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, खसरा नम्बर 945 रकबा 78 बीघा 05 बिस्वा में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक-हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाना उचित समझते हुए माफिक प्रा०डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा लौटोती पटवार हल्का लौटोती भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बोल तहसील जैतारण जिला पाली राज० वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 945 रकबा 78-05 बीघा में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाड़ा करवाया जाकर खाता व लगान अलग अलग किया जावें। मौके पर नापचौप करके नेखमबन्दी व पत्थरगढ़ी करवाई जाकर नजरी नक्शा बनाया जावें। तहसीलदार जैतारण को बंटवाड़ा करवाने हेतु अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2021/528 दिनांक 09/07/2021 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू०अ०/21/372 दिनांक 05.02.2021 एवं क्रमांक/भू०अ०/21/2294 दिनांक 16.07.2021 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा०मि० की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकुलाय ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईस्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:10:48 IST
Reason: SelfAttested

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा लौटोती पटवार हल्का लौटोती भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बोल तहसील जैतारण जिला पाली राज० वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 945

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

रकबा 78–05 बीघा में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा–बिस्वा	किस्म
1	रामकंवरी पत्नी जुगलकिशोर हि.577/955 सा. डांगावास, उर्वशी देवी पत्नी अनिलकुमार मून्दड़ा हि. 197/955 सा. महावीरगंज ब्यावर, प्रेमलता मोदी पुत्री गोपाल मंत्री पत्नी रविप्रकाश मोदी जाति महेश्वरी हि. 181/955 सा. सोजत रोड़ खातेदार।	945 945/6 **योग 02**	33-00 14-15 47-15	चा. चा. चा. चा.
2	सुरज कंवर पुत्री गायड़सिंह हि. 1/2, पप्पु कंवर, रामकंवर, सुरेश कंवर पुत्रीयां चेनकंवर हि. 1/2 कौम राजपुत सा. देह खातेदार।	945/3	19-13	चा. चा.
3	पृथ्वीसिंह पुत्र किशनसिंह कौम–राजपुत सा. देह खातेदार।	945/4	4-16	चा. चा.
4	मिथलेश कुमारी पुत्री वीर बहादुरसिंह कौम– राजपूत सा. देह खातेदार।	945/5	4-16	चा. चा.
5	शेष समस्त खातेदार सम्मिलित रास्ता प्रयोजनार्थ	945/1	01-05	

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 05/08/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला पाली (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:10:48 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमे हल्वाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत :– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकाम :– जैतारण

बईजलास :– डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

–:: वादी :– बनाम –:: प्रतिवादीगण :–

वादी :–

1. पृथ्वीसिंह पुत्र किशनसिंह जाति राजपुत निवासी लौटोती तहसील जैतारण जिला पाली राज० ।

प्रतिवादीगण :–

1. रामकंवरी पत्नी जुगलकिशोर मंत्री जाति महेश्वरी(जैन) निवासी डांगावास तहसील मेड़ता सिटी जिला नागौर राज० ।
2. प्रेमलता मोदी पुत्री गोपाल मंत्री पत्नी रविप्रकाश मोदी जाति महेश्वरी(जैन) निवासी मोदी भवन मैन सड़क सोजतरोड़ तहसील सोजतसिटी जिला पाली राज० ।
3. उर्वशी पत्नी अनिल कुमार मुन्दड़ा जाति मुन्दड़ा (जैन) निवासी महावीरगंज ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजेमर राज०
4. सुरजकंवर पुत्री गायड़सिंह
5. पप्पुकंवर पुत्री चैनकंवर
6. रामकंवर पुत्री चैनकंवर
7. सुरेशकंवर पुत्री चैनकंवर जातियान राजपूत निवासीगण लौटोती तहसील जैतारण जिला पाली राज० ।
8. मिथलेश कुमारी पुत्री वीर बहादुरसिंह जाति राजपुत निवासी लौटोती तहसील जैतारण जिला पाली राज० ।
9. तहसीलदार एवं उपंपजीयन अधिकारी महोदय जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार।

राजस्व वाद बाबत् बंट्याड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु०न० :रा०वा० स०: 122/2020

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .... व हाजरी श्री देवाराम कटारिया, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री चुतराराम भाटी, श्री जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण, मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौ[illegible] पटवार हल्का लौटाती भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बोल त[illegible] वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा [illegible] 945 रकबा 78-05 बीघा में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भू[illegible] का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:10:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर/पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा-बिस्वा	किस्म
1	रामकंवरी पत्नी जुगलकिशोर हि.577/955 सा. डांगावास, उर्वशी देवी पत्नी अनिलकुमार मून्दड़ा हि. 197/955 सा. महावीरगंज ब्यावर, प्रेमलता मोदी पुत्री गोपाल मंत्री पत्नी रविप्रकाश मोदी जाति महेश्वरी हि. 181/955 सा. सोजत रोड खातेदार।	945	33-00	चा. चा.
		945/6	14-15	चा. चा.
		योग 02	47-15	
2	सुरज कंवर पुत्री गायड़सिंह हि. 1/2, पप्पु कंवर, रामकंवर, सुरेश कंवर पुत्रीयां चेनकंवर हि. 1/2 कौम राजपुत सा. देह खातेदार।	945/3	19-13	चा. चा.
3	पृथ्वीसिंह पुत्र किशनसिंह कौम-राजपुत सा. देह खातेदार।	945/4	4-16	चा. चा.
4	मिथलेश कुमारी पुत्री वीर बहादुरसिंह कौम- राजपूत सा. देह खातेदार।	945/5	4-16	चा. चा.
5	शेष समस्त खातेदार सम्मिलित रास्ता प्रयोजनार्थ	945/1	01-05	

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंट्वाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुवलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 05/08/2021 को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जेतारण

सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

मुद्दई	रुपये पैसे	मुद्दायलाह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04-00	स्टाम्प वकालतनामा	13-00
स्टाम्प वकालतनामा	02-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	/	महनताना वकील	/
महनताना वकील	/	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	02-00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/	मुत्फरिक	
मिजान:-	08-00	मिजान:-	13-00

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishn
Date: 2022.01.24 12:10:48 IST
Reason: SelfAttested